संख्या 45/2017/2023/41-17-01 बजट/2017

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2017**

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों (सितम्बर 2017 से मार्च 2018 तक) के लिए 04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय मद में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक सं0-3107/4-1-1(बजट)/प्र0/2017-18, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद में प्रावधानित धनराशि रू0 20.00 लाख में से वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माहों के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष शासनादेश संख्या-35/2017/933(1)/41-2017 दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 4.17 लाख को समायोजित करते हुए उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 15.83 लाख को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रदर्शनियों से सम्बन्धित भुगतान प्रथमबार किया जा रहा है तथा उक्त आयोजनों हेतु व्यय की गयी धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत बिल-बाउचर्स का वित्तीय नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कराने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35/2017/933(1)/ 41-2017 दिनांक 18 अगस्त 2017 द्वारा प्रदर्शनी मद में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय-विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रश्नगत मद में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासम्भव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से की जाय।

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं08/2017/बी0-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या 45/2017/2023(1)/41-2017 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
5- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in